

हुक्म में जारी

30/04/20

पञ्जाब की राज सेवा हुई। कमील खादी की
 उपाधित। विधायक मन्त्रालय। विधायक
 को कोई समय के तीन बार तीन-तीन
 मिनटों में लिखा गया। वाक्य का
 लिखने के उपाधित रहने के विधायक
 के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही की
 जाती है। कमील खादी के उपाधित
 कादेश मन्त्र के विरुद्ध जाकर सुले
 मन्त्रालय सुलभ गमा। कादेश की
 पालनार्थ तद्विषय जारी है। पालन प्राप्त
 होने पर कमील पञ्जाब की जावे।
 पञ्जाब विधिक सुधार बोर्ड द्वारा
 इफ्तार है।

जारी

उपसचिव अधिकारी, पञ्जाब



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 126/2022

प्रार्थनी :-

1. सरादेवी पत्नी हीमताराम
जाति पुरोहित निवासी सालू की ढाणी, सिन्धासवा हरनियान हाल निवासी तातडा
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. रामचन्द्र पुत्र किस्तूरा
2. धनी पुत्री वीरमा
3. प्यारी पुत्री वीरमा
4. वरजू पुत्री वीरमा जातियान वणाक निवासी सालू की ढाणी तहसील गुडामालानी
5. हुकमा पुत्र भला जाति विश्‍नोई निवासी सालू की ढाणी तहसील गुडामालानी
6. कोहलाराम पुत्र समेलाराम
7. बाबू पुत्र धूडाराम
8. रामलाल पुत्र धूडाराम
9. तुलछी पत्नी धूडाराम
10. मांगीलाल पुत्र हेमाराम जातियान विश्‍नोई निवासी नया महादेव नगर सिन्धासवा हरनियान
11. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री रामजीवन विश्‍नोई अधिवक्ता प्रार्थनी

--: आदेश :-

दिनांक :- 26.12.2022


प्रार्थनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थनी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्‍नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा सालू की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 596 रकबा 1.5702 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थनी विवादित भूमि का

राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान के राजस्व सालू की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 596 रकबा 1.5702 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक26/12/22..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी